

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-111/2020-21

1. मरियमा सरिता बोदरा, पति-इलियाजर सुरीन,
ग्राम-मुईशीडीह, पो-हुमटा, थाना-बुण्डू, जिला-राँची.....अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू (राँची)
2. करम सिंह मुण्डा, पिता-स्व० सोमरा मुण्डा,
3. सबरण मुण्डा पिता स्व० सोनाराम मुण्डा,
4. सुखदेव मुण्डा पिता-स्व० गुरुचरण मुण्डा, ग्राम-घाघरावेड़ा,
पो-नवाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-231 R27/2020-21 में दिनांक-31.07.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
घाघरावेड़ा	बुण्डू/0078	57	1047	48 डी०
घाघरावेड़ा	बुण्डू/0078	57	1048	31 डी०
घाघरावेड़ा	बुण्डू/0078	57	1018	25 डी०

चौहद्दी:- उ०-एन०एच० 33, द०-विक्रेतागण नीज, पू०-डेबा मुण्डा, प०-विक्रेतागण नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-231 R27/2020-21 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि का ऑनलाईन पंजी2 में खेसरा संख्या दर्ज नहीं है, अतः ऑनलाईन पंजी2 सुधार के पश्चात ही नामांतरण की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि भौतिक पंजी 11 के आधार पर ऑनलाईन पंजी 11 सुधार करते हुए अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

8-12/12
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

8-12/12
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।